<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–।

संख्या : 18–392–85(II) दिनांक : नवम्बर ,2015

सेवा में,

1– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, बरेली।

विषय : पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया अवगत कराना है कि सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1447/छः–पु–1–14–650(59)/02टीसी दिनांक 10–10–2014 एवं उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है। अतः पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की अन्तिम निर्विवाद वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की अनन्तिम **(Tentative)** संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो **<u>uppolice.nic.in में 'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर Download करके</u>**'' अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराये तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

2– अपने कार्यालय में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सूचनाओं का परीक्षण अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके बारे में साक्ष्य सहित पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये, जिससे त्रुटियों को सुधार कर अन्तिम रूप देते हुए निर्विवाद अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की जा सके।

3– सूची में अंकित विवरण के सम्बन्ध में किसी कर्मी को आपत्ति हो तो वे उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन, सूचित होने के 05 दिवस के अन्दर तथा उनके पास उपलब्ध अभिलेख आदि (प्रति सहित) तत्काल आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उनके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर पर परीक्षण भी कर लिया जाये तथा अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित <u>दिनांक 02–12–2015</u> तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उस पर नियमानुसार विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लेकर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके।

4– यह भी स्पष्ट करना है कि सामान्य स्थिति में <u>दिनांक 02–12–2015</u> के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों/टिप्पणी पर विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि तैयार की गयी अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची पर आपत्ति नहीं है एवं अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा। अतः **<u>''इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता प्रदान किया जाय''।</u>**

5— यदि आपके कार्यालय में नियुक्त कोई पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) अन्यत्र स्थानान्तरित/सम्बद्ध हो गया हो या प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसे भी अपने स्तर से तैयार की गयी वरिष्ठता के बारे में अवगत कराते हुये कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

6— प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार(अनन्तिम संयुक्त वरिष्ठता सूची)</u>

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :—

1— अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपि : पुलिस उप—महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइड पर अपलोड कराने की कृपा करें।